खण्ड-228, अंक-9
गुरूवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1884
(5 अप्रैल, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४६३–४६७
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	४६७
बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४६७–४७०
प्रदेश की जूट मिलों के श्रमिकों को अन्तरिम भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	४७०
फतेहपुर डिवीजन के रजबहा घाटमपुर में पटरी फट जाने के कारण फसल को क्षति होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	४७०–४७२
सदन की विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम	४७२
कार्य-क्रम के अभाव में सदन का स्थगन	४७३–४७८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३६३

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेश प्रताप राजा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)

पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरबार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (ललन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रनबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजदेव, श्री

राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन, रिजवी, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री

सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्री
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराजसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक प्रस्ताव मेरे पास माननीय नरसिंहनारायण जी का आया है, वह कार्य-स्थगन से संबंध रखता है। किसी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना सदन में कार्य प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व पहुंच जानी चाहिये। लेकिन इसकी सूचना क्योंकि विलंब से प्राप्त हुई है इस वजह से यह अस्वीकृत हुआ। यह कार्यालय में सवा दस बजे आया।

बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर रोक लगाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कई एक नियम ५२ की सूचनायें आयी हैं। उनमें से एक विशेष महत्व की सूचना माननीय उग्रसेन जी की है। उसे मैंने स्वीकार किया है। वह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं किन्तु सारे देश के लिये एक महत्व का प्रश्न है। इस कारण उसको स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है :—

"उत्तर प्रदेश की सरकार ने गत सप्ताह एक राजाज्ञा द्वारा बद्रीनाथ धाम के तीर्थ यात्रियों को तीर्थ यात्रा में जाने के लिये रोक लगा दी है और यह भी आदेश दे रखा है कि यदि कोई यात्री जावेगा तो उसे व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। गत वर्ष बद्रीनाथ दुर्घटना के बाद सड़कों की मरम्मत का आश्वासन सरकार ने दिया था। आज तक वह कार्य न हो सका जिसके कारण हजारों तीर्थ यात्री इस वर्ष बद्रीनाथ की यात्रा से वंचित रहे। इस से प्रदेश की जनता में एक क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है। अतः उक्त विषय पर माननीय मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

माननीय मुख्य मंत्री अपना वक्तव्य कब दे सकेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अभी दिये देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस प्रकार की एक विज्ञप्ति सरकार की तरफ से निकाली गयी है और उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग कम संख्या में जायं या जो बहुत संख्या में जाने

[मुख्यमंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)]

वाले हैं वे जाने की चेष्टा न करें। इसका मुख्य कारण यह है कि जोशीमठ--पांडुकेश्वर सड़क बन रही है। वह काटी जा रही है। उसके काटे जाने के कारण बहुत से स्थानों पर अभी कंकड़ इत्यादि उस मात्रा में नहीं पड़े हैं कि उस पर सुभीते से आया जाया जा सके। वैसे ब्राइडिल पाथ से जा सकते हैं। इसलिये जब तक मुख्य सड़क तैयार न हो जाय, सड़क की पूरी मरम्मत न हो जाय--उस पर कंकड़ पत्थर पड़ रहे हैं, कटाई भी जारी है, तब तक यात्रियों का पूरी संख्या में जाना ठीक नहीं है। इसी कारण से विज्ञप्ति निकाली गयी है। हमने यह चेष्टा की थी कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा करा लें परन्तु बीच में चुनाव आ गया और चुनाव के कारण यह महसूस किया गया कि यदि हम इस कटाई के काम को जारी रखेंगे तो जो उस क्षेत्र में लोग रहते हैं और उसके परे रहते हैं जहां कि कटाई होनी है, वे अपना मत देने के लिये नहीं आ सकेंगे और यदि वे मत देने नहीं आ सकेंगे तो वे रिट आदि दायर कर सकते हैं कि उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने का अवसर नहीं दिया गया। इसीलिये सड़क का पूरे तरीके से निर्माण, जैसी कि हमारी इच्छा व अभिलाषा थी हम समय के अन्दर नहीं करा सके। यही कारण है जिससे हमने इस बात की विज्ञप्ति शाया करा दी है कि अधिक संख्या में यात्री उस रास्ते से इस वर्ष न जायें।

श्री अध्यक्ष---इसमें लिखा है कि यात्रियों के जाने पर रोक लगा दी गयी है तो माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया इसको साफ कर दें कि क्या बिलकुल रोक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---रोक कोई नहीं है, केवल सलाह दी गयी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इस बात को देखते हुए कि इसी सड़क पर कई मोटरें गिरने की दुर्घटनाएं हुईं जिससे सैकड़ों जाने गयी और माननीय मुख्य मंत्री ने यात्रियों की संख्या को देखते हुए सदन को आश्वस्त किया था कि सड़क का निर्माण जल्दी करा देंगे, तो चुनाव तो बीच में केवल दो महीने ही रहा लेकिन इसके पहले सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया गया और यदि किया गया तो कितना निर्माण हुआ, इसको मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कारण दिये हैं, उन्ही कारणों से वह सड़क नहीं बन सकी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चुनाव के पहले कितने मील या कितने फर्लांग तक सड़क का निर्माण किया गया ? और क्या यह सही है कि चुनाव के पहले उस सड़क पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---वैसे तो जो बात आपने कही उससे मैं बिलकुल सहमत हूं लेकिन साथ ही पहाड़ पर, जहां बर्फ पड़ती है नवम्बर दिसम्बर में, कांस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता है। वह काम भी खासतौर से आजकल ही हुआ करता है इसलिये अच्छा है कि कम से कम आदमी वहां जायं जिससे उस काम के होने में रुकावट न हो और जिससे अगले वर्ष तक बहुत आजादी के साथ लोगों के आने जाने का क्षेत्र वह हो सके।

श्री गंगाधर (जिला चमोली)---श्रीमन, स्थिति चूंकि साफ नहीं है इसलिये मैं थोडा बतला दूं कि उस सड़क पर काम गत दो वर्ष से लगा हुआ है और वहां कहीं-कहीं लोग रहते भी हैं। अगर उस रास्ते से यात्री नहीं जा सकते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्थानीय लोग आज तक उस रास्ते पर कैसे आते जाते हैं ?

श्री गिरधारीलाल---आने जाने पर बिलकुल रोक नहीं है। ब्राइडिल पाथ पहले से हैं, पैदल यात्री तो जा ही सकते हैं लेकिन उसके ऊपर मोटर वगैरह नहीं जा सकती है। अभी जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, वहां जान पर कोई प्रोहीबिशन नहीं है, पैदल यात्री वहां जा सकते हैं लेकिन जितने कम यात्री जायेंगे उससे उस सड़क के बनाने में विशेष सुविधा प्राप्त होगी।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि गत वर्ष जो मोटर दुर्घटनायें हुईं उसके बाद यात्रियों के लिये सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि यात्रा चालू रहेगी और उस समय वह सड़क पूर्णतः तैयार नहीं थी और इसका रेफरेंश सदन में तथा कमेटी में भी आया था कि यह सड़क तैयार कर ली जायगी, फिर भी वह पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गंगाधर---क्या माननीय मंत्री जी बतालाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सड़क कट रही थी लेकिन फिर भी यात्रियों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया लेकिन इस वर्ष कौन सी ऐसी स्थिति आ गयी जिससे यात्रियों पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---पिछले वर्ष कोई प्रतिबन्ध नहीं था और इस वर्ष भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस बात की दरख्वास्त की गयी है कि वहां कम से कम यात्री जायं, तो अच्छा है ताकि सड़कों पर कोई खतरा न हो ।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले वर्ष वहां कई दुर्घटनायें हुईं जिससे बहुत से लोगों की जाने गयीं और इस वर्ष सरकार ने कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाया है बल्कि केवल प्रार्थना की है अधिक तादाद में यात्रियों के जाने पर सरकार उनकी सुरक्षा के लिये कोई विशेष व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---अभी विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकी है इसलिये प्रार्थना की गई ह कि इस वर्ष कम से कम यात्री जायं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---सरकार की ओर से यह स्पष्ट घोषणा क्यों नहीं कर दी जाती है कि जब तक सड़क तैयार नहीं हो जायगी तबतक मोटर नहीं जाने दी जायेंगी और लोग पैदल जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस तरह की घोषणा करना सारे देश में एक खलबली पैदा करने वाली बात होगी और इसलिये यह मुनासिब नहीं समझा गया कि हम इस तरह की कोई घोषणा करें ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---क्या इस बात को देखते हुये कि यह बहुत ही आवश्यक सड़क है, माननीय मंत्री जी इस का एलान करेंगे कि इस सड़क का काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस बात की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस काम को खत्म किया जाय, वह हमारा बार्डर क्षेत्र है और वहां यह एक स्ट्रेटेजिक रोड है मैं समझता हूं कि यह कार्य एक साल में पूरा हो जायगा ।

श्री उग्रसेन---यह जो बद्रीनाथ बस दुर्घटना जांच कमेटी बनी है उसने कोई सुझाव माननीय मुख्य मंत्री को दिया है ?

श्री अध्यक्ष---शायद आपको मालूम नहीं है, उस कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ।

श्री उग्रसेन---इस बारे में उस कमेटी ने क्या कहा है यही मंत्री जी बता दें, वह कोई गोपनीय रिपोर्ट तो है नहीं ?

श्री अध्यक्ष---उन का प्रश्न यह है कि क्या बस दुर्घटना जांच कमेटी ने इस सड़क के बारे में और यात्रियों के जाने आने के विषय में कोई सुझाव दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सड़क की दुर्व्यवस्था के बारे में उसमें बातें बताई गई हैं, उसका इन्तजाम हो रहा है। पहले सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी और कहीं-कहीं ऐसी थी कि जिससे मोटरें गिर सकती थीं। यह सब सुझाव इस सम्बन्ध में कमेटी ने दिये हैं और उन पर अमल किया जा रहा है।

श्री उग्रसेन---यात्रा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिया है ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बता दिया कि रास्ता खराब है उसको ठीक कराना है, उसके बाद ही यात्रा की सुविधा दी जा सकती है।

(व्यवधान)

जो वह कह सकते थे उन्होंने बता दिया है।

प्रदेश की जूट मिलों के श्रमिकों को अन्तरिम भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास माननीय नरसिंहनारायण का प्रस्ताव आया है। २ अप्रैल, ६२ को माननीय उग्रसेन के आग्रह पर मैंने कहा था कि हम और वह बातचीत कर लेंगे और उसका मतलब समझ कर, मैं उचित कार्यवाही करूंगा।

माननीय सदस्य ने यह कहा था अगर आप नियम ५२ में उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो केवल मंत्री महोदय से उस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दिला दें। तो माननीय उग्रसेन जी का आग्रह स्वीकार करके मंत्री जी के पास मैंने यह सूचना भेज दी है। वह अपना वक्तव्य इस सम्बन्ध में देंगे।

माननीय नरसिंहनारायण जी का जो नोटिस है वह इस प्रकार है :---

"सरकारी गजट के बावजूद उत्तर प्रदेश के जूट मिल मालिकान जूट मिल में काम करने वाले ७ हजार श्रमिकों को १८ माह से ऊपर हो रहा है अन्तरिम भत्ता (इंटरिम रिलीफ़) नहीं दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मिल मालिकान ने रिट भी हाईकोर्ट में दाखिल किया था परन्तु खारिज हो गया है। इस स्थिति को लेकर मजदूरों में असन्तोष व्याप्त हो गया है और भयावह स्थिति उत्पन्न है।"

यह नोटिस सम्बन्धित मंत्री को दे दिया गया है। कृपया आप बतायें कब इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे देंगी।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---इस सम्बन्ध में सोमवार को स्टेटमेंट दे दूंगी।

फतेहपुर डिवीजन के रजबहा घाटमपुर में पटरी फट जाने के कारण फसल को क्षति होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब माननीय सिंचाई मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---श्रीमन्, मैंने आपसे मांग की थी कि माननीय शिवनाथसिंह ने जो मामला सदन के सामने पेश किया उसके बारे में आज ११ बजे तक समय मुझे प्रदान किया जाय। इस दौरान में जो कुछ भी सूचना एकत्रित की जा सकती थी वह मैंने हासिल कर ली है और वाकया इस प्रकार है :---

"घाटमपुर डिस्ट्रिब्यूटरी १६ जनवरी, सन् १९६२ से ३० मार्च, सन् १९६२ तक बन्द रही, क्योंकि उस जमाने में समय-समय पर काफी वर्षा होती रही और सिंचाई के पानी की कोई मांग नहीं उठी। ३० मार्च, सन् १९६२ को इस डिस्ट्रिब्यूटरी में पानी चलाया गया और उसके

चलाने से पहली अप्रैल सन् १९६२ की ४ बजे सुबह नहर में शोरी हुई। इसकी सूचना ओवरसियर तथा सहायक अभियन्ता को लगभग सुबह के ८ बजे तक मिली, लेकिन उससे पहले ही नीचे के कर्मचारियों ने इस्कैप इत्यादि खोल दिये थे जिससे कि डिस्ट्रिब्यूटरी में शोरी होने की जगह पानी कम हो जाय। अधिशासी अभियन्ता भी उस दिन, यानी १ अप्रैल सन् १९६२ को, ३ बजे शाम तक मौके पर पहुंच गये थे और ४ बजे तक शोरी को बिल्कुल बन्द कर दिया गया।

इस पानी के फैलने से क्या नुक्सान हुआ, इसकी जांच कानपुर के सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर ने स्वयं जाकर की और तहसील के जरिये से भी इस बात की जांच करवाई गई। इस जांच से पता चला कि नहर का पानी कुल ७३ एकड़ जमीन पर फैला था, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

३४ एकड़ ऐसी जमीन थी जिस पर से फसल काटी जा चुकी थी। २४ एकड़ ऐसी जमीन थी जिस पर फसल अभी खड़ी थी। बाकी १५ एकड़ परती थी, जिसके ऊपर कोई फसल नहीं बोई गई थी।

इसके अलावा दो खलिहानों में भी पानी पहुंचा था और उनमें तीन ढेर कटी हुई फसलों के रक्खे थे उनके नीचे के हिस्से में कुछ नुक्सान हुआ।

जिन-जिन गांवों की जमीन पर पानी पहुंचा, वे इस प्रकार हैं :

(१) हुसेना---५६ एकड़, (२) नवरंगा---८ एकड़, (३) महरालीपुर---५ एकड़, और (४) भटवारा---४ एकड़। कुल योग ७३ एकड़।

खेतों में खड़ी हुई फसलों को जो कुल नुक्सान हुआ उसका तख्मीना तकरीबन १,२६० रुपये का है, और खलिहानों में पड़ी फसल का जो नुक्सान हुआ, उसका तख्मीना ३८ रुपये का है। इस प्रकार कुल नुक्सान १,२९८ रुपये का हुआ है। शोरी होने के कारण जो नुक्सान हुआ है, उसके सम्बन्ध में सिंचाई के महसूल इत्यादि में नियमानुसार छूट दी जायगी।

शोरी होने के कारणों की भी जांच पड़ताल की गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई नहर कुछ अर्से तक बन्द रहती है तो उसमें चूहों इत्यादि द्वारा अन्दर ही अन्दर कभी-कभी किनारे खोखले कर दिये जाते हैं और पानी चलाने पर वहां नहर फूट जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां भी किसी ऐसे ही कारण से नहर फूट गई, यद्यपि इस स्थान पर नहर में साढ़े चार फीट तक पानी चलाया जा सकता है, और जिस वक्त यह शोरी हुई उस वक्त सिर्फ २ फीट पानी नहर में छोड़ा गया था। जैसा मैंने ऊपर अर्ज किया, शोरी होने के बाद जितनी जल्दी हो सकता था नहर की पटरी की मरम्मत कर दी गई और पानी का बहना १२ घंटे के अन्दर रोक दिया गया। माननीय शिवनाथसिंह की यह इत्तला कि ३ अप्रैल तक भी जब उन्होंने यह प्रश्न सदन में उठाया, पानी बांधा नहीं जा सका था मेरी इत्तला के खिलाफ़ है।

यह बात सही है कि घाटमपुर डिस्ट्रिब्यूटरी में इस जगह के आस-पास एक दफा १९५९ में और एक दफा सन् १९६१ में शोरी हुई। दूसरी शोरी होने पर यह आवश्यक समझा गया कि पटरी को और मजबूत किया जाय और इसके लिये एक एस्टिमेट स्वीकृत किया गया और काम सन् ६१ में ही शुरू कर दिया गया। परन्तु जिस समय यह शोरी हुई उस समय तक यह काम पूरा नहीं हुआ था यानी कच्ची मिट्टी डालने से पटरी में कोई मजबूती नहीं आ सकती थी, क्योंकि कच्ची मिट्टी एक वर्षा ऋतु के गुजरने पर ही पुख्ता होती है।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---क्या यह सच है कि पटरी प्रतिवर्ष एक बार से ज्यादा बार घटनास्थल के स्थान पर ही टूटती है?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि १९५९-६० में दो मर्तबा यह पटरी टूटी।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---जब उसी प्वाइंट पर कई बार वह नहर टूटी है तो यह जानते हुए कि वहीं पर शोरी होती है तो उस शोरी को बन्द करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री राममूर्ति---मैंने निवेदन किया कि जब दो बार पटरी टटी तो तख्मीने बना कर वहां मिट्टी डाली गयी और उसे मजबूत किया गया लेकिन जब तक एक बारिश नहीं हो जाती, तब तक मिट्टी का कंसोलिडेशन अच्छा नहीं होता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जहां रजबहा टूटा है, तीन वर्ष तक लगातार जिस जगह वह टूटता रहा है, इसका कारण यह है कि वहां पर एक मोड़ है जिससे प्रतिवर्ष पानी का एक धक्का उस पर लगता है और वह टूट जाता है ?

श्री राममूर्ति---यह माननीय सदस्य के दिमाग का मोड़ है, वहां कोई मोड़ नहीं है। जब दिमागी मोड़ होता है तो ऐसी बात कही जाती है।

श्री उग्रसेन---वहां पर मोड़ है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया कि वहां पर मोड़ नहीं है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---जो क्षति हुई है और सिंचाई विभाग के नियमानुसार कम्पेनसेशन दिया जायगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी तैयार फसल को क्षति हुई है और विभाग के नियमों से काफी विलम्ब हो जाता है क्षति देने में, इसलिये क्षति देने में शीघ्रता की जाय इसके लिये सरकार व्यवस्था करेगी ताकि उन्हें कम्पेनसेशन जल्दी से दिया जा सके ?

श्री राममूर्ति---यह सही बात है । इस बारे में जरूरी आर्डर्स भेज दिये जायंगे।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी मेरे साथ चलने को तैयार होंगे घटना स्थल पर, यह देखने के लिये कि मोड़ उनके दिमाग में है या वहां पर है ?

श्री अध्यक्ष---आपकी सूचना उन्होंने ले ली।

सदन की विभिन्न समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---सदन की समितियों के निर्माण के लिये कदाचित् निर्वाचन की आवश्यकता पड़े। अगर सर्वसम्मति से हो गया तो निर्वाचन का प्रश्न नहीं रहेगा। तो भी चूंकि निर्वाचन होता है मैं उनके सम्बन्ध में सूचना सदन के समक्ष रख रहा हूं।

लोक लेखा समिति के २१ सदस्यों, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्यों, स्थायी समितियों में से प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों और उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड के ३ सदस्यों के निर्वाचन के लिये कार्यक्रम इस तरह से निर्धारित किया गया है :---

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय---४ मई, १९६२ को सायंकाल ५ बजे तक,

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा---८ मई, १९६२ को २ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में),

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय---१७ मई, १९६२ को सायंकाल ५ बजे तक,

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक २९ मई, १९६२ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

नियमों के अन्तर्गत यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय (सिंगिल ट्रांसफरेबल वोट) द्वारा किया जायगा।

कार्यक्रम के अभाव में सदन का स्थगन

श्री अध्यक्ष––अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय या संबंधित मंत्री यह बतलायेंगे कि क्या बिजिनेस है कल के लिये या आज के लिये।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)––श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जो हमारा नियम है उसके मुताबिक जब किसी सप्ताह का पहला दिन होता है उस दिन मुख्य मंत्री या उनके मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य सप्ताह का क्या कार्यक्रम होगा, यह सदन के सामने प्रस्तुत करता है। वह नियम इसलिये बनाया गया है कि ताकि माननीय सदस्य अपनी पूरी तैयारी कर सकें और वे जान सकें कि सदन में सप्ताह के किस दिन क्या कार्य होने वाला है। इस सप्ताह का जो प्रथम दिवस था उस दिन माननीय बनारसीदास ने इस सप्ताह का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और तीन-चार विधेयकों की केवल सूचना सदन को दी थी। उस समय भी हम लोगों को इस बात की आशंका थी कि जिस कार्यक्रम को सदन के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वह अपर्याप्त है और उस सम्बन्ध में सरकार को जो पूरी सूचना देनी चाहिये वह नहीं दी जा रही है। लेकिन उसके जवाब में माननीय बनारसीदास ने यह कहा था कि यह आवश्यकता से अधिक है और पूरे सप्ताह के लिये पर्याप्त काम है। श्रीमन्, आज आपको मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य से यह जानने की जरूरत नहीं पड़ती.....

श्री अध्यक्ष––एक बात सुन लीजिये। आप व्यवस्था का प्रश्न रख रहे हैं। तो जानने की जरूरत पड़ती या न पड़ती, जब तक मुख्य मंत्री का वक्तव्य इस सम्बन्ध में न हो जाय....

श्री चन्द्रजीत––ठीक है। तो जो दयनीय दशा रही है उसके बारे में मैं बाद में अपनी बात कहूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न उपस्थित करके विधेयकों के ऊपर विचार रोका गया और सारी बातें हुईं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप इस बात पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे कि सदन के पूरे सप्ताह के लिये जो कार्यक्रम मंत्रिपरिषद् की तरफ से उपस्थित होता है यदि वह बीच ही में समाप्त हो जाय और सदन में शुरू में ही इस बात की शंका उठायी गयी हो कि यह पूरे सप्ताह के लिये पर्याप्त कार्यक्रम नहीं है और सदन ऐसी स्थिति में डाल दिया जाय कि आज का कार्यक्रम क्या हो, कल का क्या हो, तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सदन का काम सुचारु रूप से चल सके और माननीय सदस्य भी अपने कर्तव्य का पालन कर सकें? इसके ऊपर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष––माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह कदाचित् उस समय सुसंगत होता जब माननीय मुख्य मंत्री का, इस सम्बन्ध में, वक्तव्य हम सुन लेते।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)––अध्यक्ष महोदय, जो प्रोग्राम इस हफ्ते का इस सदन के समक्ष घोषित किया गया था वह कल तक के लिये था। सौभाग्य से सदन ने विधेयकों को जिनके लिये एक-एक रोज रखा गया था जल्दी विचार कर के पारित कर दिया। इसलिये यह परिस्थिति उत्पन्न हुई कि कल और आज का क्या कार्यक्रम हो। जो कार्यक्रम सदन के सामने रखा गया था वह इतना काफ़ी था कि मय उन बिलों के जो कि कौंसिल से यहां विचारार्थ आने वाले हैं १२ तारीख तक जब कि हम बजट प्रस्तुत करेंगे उस दिन तक के लिये काफी काम था। अभी कौंसिल ने एक बिल पास कर दिया है और दूसरा कदाचित आज या कल पास हो जायगा। इसलिये सदन के समक्ष मेरा यह सुझाव है कि कल के लिये और सोमवार के लिये यदि सदन इस बात की इजाजत दे तो हम सदन की उस मांग को कदाचित् पूरी कर सकें जो बराबर रही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में, जिसकी पुस्तिका वितरित कर दी गई है, कल और सोमवार को बहस कर लें और फिर १० और ११ तारीख को, जो दो बिल कौंसिल से सदन के विचारार्थ आने वाले हैं, उन पर विचार कर लें और १२ तारीख को बजट प्रस्तुत किया जाय। उसके आगे जो बजट के ऊपर विचार करने का कार्यक्रम है उस पर विचार करें।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आज सदन के विचार करने के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है और इसलिये नहीं है कि जो कार्यक्रम रखा गया था, वह इतना काफी समझा गया था कि कदाचित् सदन को इतना समय विचार करने में उन विधेयकों पर लगे जो प्रस्तुत किये थे। आज मेरा आप से निवेदन यह है कि सदन स्थगित किया जाय और कल और सोमवार को यदि सदन इजाजत दे तो थर्ड फाइव ईयर प्लान पर डिस्कशन कर लें और १० तथा ११ तारीख को जो दो बिल कौंसिल से आयें, उन पर विचार करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने के बाद.....

श्री अध्यक्ष---मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। श्री चन्द्रजीत जी खड़े हैं पहले उनको समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री चन्द्रजीत---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मैं उसका घोर विरोध करना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष---एक बात समझ लीजिये कि सदन के स्थगित करने का प्रस्ताव नहीं रखा है। उन्होंने जो आपके सामने वक्तव्य दिया है, उसको समझ लीजिये। यह बात नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बोल सकता है। मैं सिर्फ यह बात रखना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का यह कहना है कि दो बिल कौंसिल से पास होकर आने वाले थे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। वे अभी तक नहीं आ पाये। इस कारण से आज और कल के लिये हमारे पास कोई काम नहीं रहा। फिर वह यह कहते हैं कि जो विधेयक यहां पारित हो चुके हैं उनके सम्बन्ध में भी यह अनुमान था कि वे कदाचित आज तक चलेंगे। ये दो बातें आपके सामने रखी हैं और तीसरी बात यह है कि सदन के सामने प्रस्ताव रखा है कि यदि सदन स्वीकार करे तो कल और सोमवार के दिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में साधारण विचार विनिमय इस सदन में हो जाय। यह आपके ऊपर है। कोई जबरदस्ती नहीं है। आप से अनुमति मांगी है। यह समझ लीजिये कि ये तीन बातें आपके सामने उन्होंने रखी हैं।

श्री चन्द्रजीत---चौथी बात यह है कि सदन स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप शान्ति रखिये, (व्यवधान) माननीय चन्द्रजीत जी बोलेंगे।

श्री चन्द्रजीत---श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो कार्यक्रम न रहने की वजह से स्थिति पैदा हो गई है उस पर आप विचार करें और भविष्य के लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि सदन को इस प्रकार की लुंज-पुंज अवस्था में छोड़ने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये। कल जब हम विधेयकों पर विचार कर रहे थे तो सरकारी पक्ष के एक-एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि अगर कोई दस मिनट से १२ मिनट बोले तो यह पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछता हूं कि यह पैसे का दुरुपयोग है या नहीं ? सदन को यह भी जानकारी नहीं कि आज क्या कार्यक्रम है। आज सदन जब बुलाया गया है तो हम किसी विधेयक पर विचार करते लेकिन इस लुंज पुंज अवस्था में सदन स्थगित किया जा रहा है, हमें यह भी नहीं मालूम कि कल परसों का क्या कार्यक्रम है। अभी जो माननीय राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया था उसमें कई ऐसे विधेयकों की चर्चा थी जो इस सदन के अन्दर आने वाले थे। क्यों नहीं सरकार ने उन विधेयकों को तैयार किया ? जब तक काउंसिल से अन्य विधेयक आते, हम लोग उन पर विचार करते। पिछली बार भी माननीय सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष के द्वारा सरकार से बार-बार प्रार्थना की थी, लेकिन सरकार की निष्क्रियता, उसकी लुंज पुंज अवस्था का बार बार परिचय मिलता है। हमें नहीं मालूम होता कि कल सदन के सामने कोई कार्यक्रम है या नहीं। उस समय हमने लोक सभा की परम्पराओं की तरफ माननीय अध्यक्ष के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। लोक सभा में यह परम्परा है कि जब सदन

स्थगित होता है, उसके तीन दिन के अन्दर ही दूसरी बार सदन कब मिलेगा, सदन का क्या कार्यक्रम होगा, वह माननीय सदस्यों के पास भेज दिया जाता है और पूरे सेशन का कार्यक्रम निश्चित रहता है ताकि उसी के अनुसार माननीय सदस्य तैयारी कर सकें और अपना अन्य कार्यक्रम बना सकें। यहां यह भी नहीं मालूम होता कि कल क्या कार्यक्रम होगा। कल जब हम यहां से उठ कर गये तो हमें नहीं मालूम था कि आज का क्या कार्यक्रम है। आठ बजे जब कमरे में कार्यक्रम पहुंचा तो देख कर हैरत हुई कि आज सदन के सामने कोई कार्यक्रम नहीं है सिवा इसके कि अनौपचारिक ढंग से जो नियम ५२ के अन्तर्गत या कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते हैं, वह लिये जायं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, यह उन्होंने बड़ी कृपा की है, इसलिए कि उनके पास कोई काम नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वह चाहते हैं कि १२ घंटे का नोटिस देकर, हम विचार कर लें। यह अपनी निष्क्रियता को छिपाने का एक प्रयास है। तृतीय पंचवर्षीय योजना पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। पिछली दो योजनाओं में प्रदेश आगे नहीं बढ़ा है।

(श्री अध्यक्ष ने कुछ कहना चाहा)

श्रीमन्, आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष––मेरा मतलब यह है कि आप अपनी बात थोड़े शब्दों में कह सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत––मैं समझता हूं कि यह बड़ी गम्भीर चीजें हैं। सदन के माननीय सदस्यों की भावनायें व्यक्त होनी चाहिये। मैं उस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं कि कल हम तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार कर लें। मैं सरकार को आगाह करता हूं कि अपनी निष्क्रियता को छोड़ें और मैं आप से भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। नियमानुसार, कार्यक्रम कैसे निर्धारित हो, इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने आपसे भी परामर्श किया या नहीं ? यह भी एक प्रश्न है, आप नियम २५ को देखें। उसमें स्पष्ट कहा गया है "असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिनों को छोड़ कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मत्ति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं लिया जायगा। सचिव उस कार्य का विनयास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से विनिश्चित करें :

परन्तु अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेंगे"। मुझे जो आपके कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई और आपसे बात करने के बाद जो सूचना मिली उसके अनुसार मुझे यह विश्वास है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम होगा, इस संबंध में आपसे और नेता सदन से विचार-विमर्श नहीं हुआ। तो आगे के लिये यह परम्परा डाली जाय कि जो कार्यक्रम हो, आपसे परामर्श करने के बाद पूरे सप्ताह का निश्चित कार्यक्रम, सप्ताह के पहले दिन, आपके कार्यालय से मिल जाना चाहिये, ताकि लुंजपुंज अवस्था में सदन न रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भविष्य के लिये आप इस बात की पूरी गारंटी दें।

श्री उग्रसेन––श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी घोषणा की है यद्यपि वह बिलकुल स्पष्ट नहीं है फिर भी मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय बनारसीदास जी ने जिस दिन यह सुनाया था कि इन इन विधेयकों को लिया जायगा और इस इस क्रम से यह काम चलेगा तो माननीय मंत्री जी को तो आज यह स्पष्ट बताना चाहिये था कि आखिर वह कार्यक्रम क्यों नहीं चल सका। माननीय मुख्य मंत्री जी को तो स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये थी कि हमारे पास कोई काम नहीं है इसलिये हम सदन को आगे चलाने में असमर्थ हैं। लेकिन अपनी बात को छिपाने के लिये तृतीय योजना की बात वह कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला देवरिया)––एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस बात को जरा स्पष्ट कर दें कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है या माननीय मुख्य मंत्री जी का यह कोई प्रस्ताव है। अगर प्रस्ताव है.....

श्री अध्यक्ष––आप बैठिये । उनकी सीधी बात यह है कि अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है ।

श्री उग्रसेन––तो श्रीमन्, आपको ध्यान होगा कि जब उन विधेयकों पर और खासकर गन्ना क्रयकर विधेयक पर विवाद में हम लोग भाग ले रहे थे, तो सरकारी पार्टी के माननीय सदस्यों ने बार बार बहस बन्द करने का प्रश्न उपस्थित किया, प्रश्न उपस्थित करके बहस को चलने नहीं दिया. . .. . . .

श्री अध्यक्ष––मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं, आपको रोकता नहीं, कि जो बातें माननीय चन्द्रजीत ने कह दी हैं उन्हीं बातों को अगर आप दुहरायेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री उग्रसेन––मैं दोहरा नहीं रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष––यह बात तो उन्होंने कह दी कि रोका गया और समय नहीं दिया गया ।

श्री उग्रसेन––हमारी बात आप सुन लें । मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो आज योजना की बात हम पर लाद रहे हैं कि योजना पर बहस हो तो उस पर कम से कम पांच दिन बहस होनी चहिये और उसके लिये सबसे पहले हमें उसे पढ़ने का समय मिलना चाहिये जिसमें कि आदरणीय सदन के माननीय सदस्य उसको पढ़कर तैयार हों और फिर उसके ऊपर पांच दिन तक कम से कम सदन में बहस हो । ओले के लिये भी उस दिन कहा गया था, उस पर भी एक दिन बहस होनी चाहिये, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं किया गया । जो भी अब तक यहां की परम्परा रही है, वह यही रही है कि एक सुनिश्चित कार्यक्रम हमारे पास होना चाहिये और आप तो उन पर चार्ज कीजिये । माननीय मुख्य मंत्री जी आखिर सदन को समझते क्या हैं ? इसको शायद वह चौधरी की चौपाल समझते हैं या क्या समझते हैं ? मेरा आपके द्वारा उनसे यह निवेदन है कि इसे वह आदरणीय सदन समझने की कृपा करें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)––श्रीमन्, अभी जो बातें कही गई, मैं उनसे सहमत नहीं हूं । सदन को चलाने की जितनी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारी विरोधी दल की भी है । जब सोमवार को सदन प्रारम्भ हुआ था तो सरकारी पक्ष से सदन का कार्यक्रम बता दिया गया था और यह आशा की जाती थी कि दोनों विधेयक शुक्रवार तक चलेंगे । लेकिन अनायास कल वह विधेयक जल्दी पास हो गया, इसलिये यह प्रोग्राम आगे नहीं चल सका । तो यह जिम्मेदारी विरोधी दल की भी है कि अगर कोई विषय सदन के सामने आये तो उसको चलाया जाय और उसके ऊपर बहस की जाय । लेकिन कल उस विधेयक के अनायास पास हो जाने से ऐसी समस्या आ पड़ी ।

दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह सुझाव सदन के समक्ष रखा है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना को हम कल ले लें और सोमवार को भी उसे ले लें । तृतीय पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण विषय है । उसे पढ़ने के लिए माननीय सदस्यों को समय चाहिए । शायद अभी वह उसका अध्ययन नहीं कर पाये हैं । इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि नेता सदन, नेता विरोधी दलों को बुलाकर परामर्श कर लें और सबकी सहमति से यह कर दें कि सदन आज उठ जाय और १२ को जब बजट पेश हो तब फिर बैठे । इससे उसको पढ़ने का समय भी मिल जायगा और उसमें आसानी भी होगी ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)––मैं आपकी आज्ञा से दो खास चीजें रखना चाहता हूं । यह जो आज की कार्यवाही स्थगित करने या न करने का प्रश्न है बहुत ही गम्भीर प्रश्न है । इसको साधारण दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये । इसलिये कि माननीय सदस्य जो उत्तर प्रदेश से चुनकर आये हैं अगर एकाएक यह कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है और वह इस कारण से कि सदन के समक्ष बाकी कोई कार्य नहीं रह जाता है तो उसमें हजारों रुपया जो माननीय सदस्यों पर एक दिन में खर्च होता है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है ? यहां गरीब जनता का

रुपया रोजाना खर्च होता है जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर है । वे माननीय मुख्य मंत्री और सभी उप-मंत्रियों के ऊपर भी है जिनके ऊपर गरीब जनता का हजार पन्द्रह सौ रुपया रोजाना खर्च होता है । मैं समझता हूं कि इस तरह के खर्चे की जिम्मेदारी, जो माननीय सदस्यों और माननीय मंत्रियों पर किया जाता है, मुख्य मंत्री पर कार्य न होने के कारण पड़ती है । यदि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है तो आपके सामने एक आवश्यक प्रश्न है जिस पर आपको विचार करना है ताकि भविष्य में इस तरह की कार्यवाही की पुनरावृत्ति न हो ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—अब सब बातें सामने आ चुकी हैं। जो सदस्यों को कहना था वह कहा जा चुका है। अन्य माननीय सदस्यों को इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है।

जो बातें यहां पर हुई हैं वह सबने सुन ली हैं। जहां तक इस समय तक के कार्यक्रम का संबंध थ उसकी घोषणा हो चुकी थी और माननीय बनारसीदास जी ने हमारे सामने रखी थी। सिवाय इसके कि अनुमान से निश्चित किया जाय, चाहे फिर बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ही क्यों न हो, तब भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हमारे अनुमान के विपरीत किसी एक विशेष परिस्थिति से कोई बिल जो ४ घंटे में पास हो उसमें एक ही घंटे का समय लगे, यह सम्भव हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में, मैं और मुख्य मंत्री एक दूसरे से परामर्श करके जो कार्यक्रम रख ते हैं उसमें कहीं-कहीं गलती हो सकती है, कहीं-कहीं कुछ व्यवधान ऐसा उपस्थित हो सकता है कि जिसमें कठिनाई उत्पन्न हो जाय।

अब माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने नियम २५ की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दरअसल वह नियम १५ है जो इस प्रकार है :—"सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देख कर तथा सदन नेता के परामर्श से समय-समय पर निश्चित करे। सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जब कि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो"।

सदन का कार्यक्रम निश्चित हुआ। अब जो कौंसिल से दो विधेयक आने वाले थे वह नहीं आये हैं। स्थिति यह है कि न मेरे और न सदन के अधिकार की यह बात है कि हम कौंसिल को विवश करे कि वह किसी कार्यक्रम को हमारी सुविधा के अनुसार समाप्त करे। ऐसा नहीं हो सकता। उसमें व्यवधान हो जाता है। नेता समाजवादी दल ने कहा कि इस प्रकार के क्लोज़र के प्रस्ताव सरकार की तरफ से क्यों आते हैं जब कि सरकार को आज इस बात की आवश्यकता थी कि बहस जारी रहे। सरकार की तरफ से बराबर क्लोज़र के प्रस्ताव आते हैं सरकारी पक्ष के सदस्यों की तरफ से विपक्ष के ऊपर दोषारोपण होता है कि वे ज्यादा समय लेते हैं, तो यह बात होते हुये भी आप सोच लें कि सरकार या सरकारी पक्ष किसी बहस को समाप्त नहीं कर सकता है और कैसे जल्दी कर सकता है। यह आप खुद सोच लें कि कहां तक ठीक है। कल जब प्रश्न उपस्थित करने का प्रश्न इस सदन के समक्ष रखा गया तो मैंने कार्यवाही देखते समय देखा कि अधिष्ठाता महोदय ने यह कह दिया कि दो एक सदस्य और बोल लें तब मैं इस प्रश्न को उपस्थित करूंगा। क्लोज़र तो चेयर के विवेक पर निर्भर है। तो जैसा वातावरण होता है, जो सदन की मंशा होती है उसको देख कर ही कार्य होता है। वर्तमान परिस्थिति में आज इस सदन को स्थगित करने की आवश्यकता है। जो सुझाव माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन के समक्ष रखा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में हम विचार कर लें और सदन के कार्यक्रम का निर्धारित होना मेरे और माननीय नेता सदन के एक मत होने पर आश्रित है। माननीय सदस्यों को सुन कर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का विषय इतना गम्भीर है कि जिसका अध्ययन करना माननीय सदस्यों के लिये आवश्यक है और उसके लिये पर्याप्त समय अपेक्षित है। ऐसी दशा में तृतीय पंचवर्षीय योजना पर कल और तदुपरान्त

[श्री अध्यक्ष]

सोमवार को वादविवाद करना मैं उचित नहीं समझता। ऐसी अवस्था में अगर कल और सोमवार के लिये मुख्य मंत्री या मंत्री पार्लियामेंटरी एफेयर्स बता दें कि कोई काम है तो कल और परसों बैठक होगी वरना इस सदन को उस तिथि तक स्थगित कर दिया जायगा कि जिस तिथि को यहां कार्य हो।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय शिरोधार्य है। चूंकि जो विधेयक काउन्सिल से आने वाले थे और जो आज यहां मेज पर रखे जाने वाले थे, अभी नहीं आये हैं और सदन प्लान पर अभी विचार नहीं कर सकेगा क्योंकि आपने अपना निर्णय दे दिया है तो अब हम १२ तारीख को जब बजट प्रस्तुत होगा, तभी मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष——यानी ३ बजे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जी हां।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)——१३ तारीख को रामनवमी है। तो अगर १२ के बजाय १४ को किया जाय तो क्या हर्ज है?

श्री अध्यक्ष——माननीय सदस्य आक्षेपकर्त्ता का ध्यान मैं नियम १८४ के प्रति आकर्षित करके बतलाना चाहता हूं कि बजट के लिये तिथि गवर्नर महोदय द्वारा निश्चित की जाती है। १५ मार्च, १९६२ को जो यहां से पत्र माननीय सदस्यों के पास भेजा गया है उसमें भी इसकी सूचना दी जा चुकी है। लिहाजा अब यह बजट १२ तारीख को ३ बजे अवश्यमेव उपस्थित होगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

चूंकि अब कोई काम नहीं है इसलिये आज हम उठते हैं और १२ तारीख को ३ बजे फिर इस सदन की बैठक होगी।

(इसके बाद सदन ११ बजकर ५४ मिनट पर, बृहस्पतिवार, १२ अप्रैल, १९६२ को ३ बजे अपराह्न तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
५ अप्रैल, १९६२।

पी० एस० यू० पी०——ए० पी० ३९ एल० ए०——१९६२——८४५।